रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40] दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 9, 2018/माघ 20, 1939 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 443

No. 40] DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 9, 2018/MAGHA 20, 1939 [N.C.T.D. No. 443

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 8 फरवरी, 2018

सं. फा. 13(43)/09/विविध/डीसी/सर्त./2737–46.—इस संबंध में जारी दिनांक 05 मार्च, 2014 को दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग– IV में प्रकाि ात अधिसूचना सं.फा. 13(43)/09/विविध/डीसी/सर्त./3355–3363 दिनांक 5 मार्च, 2014 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई बातें या की जाने के लिये हटाई गई बातों को छोड़कर और औशधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 36कख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए, राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधी ा से पराम र्ा करके इसके द्वारा राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रत्येक जिले के अपर सत्र न्यायाधी ा–02 के न्यायालय को अपमिश्रित औशधियों या नकली औशधियों से संबंधित अपराधों तथा धारा 13 के खंड (क) एवं (ख), धारा 22 के उपधारा (3), धारा 27 के खंड (क) एवं (ग) धारा 28, धारा 28क, धारा 28ख और धारा 30 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अन्तर्गत दंडनीय तथा अपमिश्रित औशधियों या नकली औशधियों से संबधित अन्य अपराधों के लिये और औशधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के उक्त अधिनियम के लिये वि ोश न्यायालय तथा चौथे अध्याय के अन्तर्गत दंडनीय सभी अन्य अपराधों के विचारण के लिये भी सत्र न्यायालय के रूप में तत्काल पदनामित करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

सुरेन्द्र नारंग, उप–सचिव

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 8th February, 2018

No. F. 13(43)/09/Misc/DC/Enft./2737-46.—In supersession of notification No. F. 13(43)/09/Misc/DC/Enft/ 3355-3363 dated 5th March, 2014 published in Part IV of Delhi Gazette Extraordinary dated 5th March, 2014 issued in this regard, except as respects of things done or omitted to be done before such supersession and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 36AB of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in consultation with the Chief Justice of the High Court of Delhi, hereby designates the Court of Additional Sessions Judge-02 , in each district of the National Capital Territory of Delhi, as Special Court for their respective Sessions Division for trial of offences relating to adulterated drugs or spurious drugs and punishable under clauses (a) and (b) of section 13, sub-section (3) of section 22, clauses (a) and (c) of section 27, section 28, section 28A, section 28B and clause (b) of sub-section (1) of section 30 of the said Act and for other offences relating to adulterated drugs or spurious drugs and also as designated Sessions Court for all other offences punishable under Chapter IV of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 with immediate effect.

By Order and in the Name of Lt. Governor,

of National Capital Territory of Delhi,

SURINDER NARANG, Dy. Secy.

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.02.15 18:02:04 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.